देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2020/mkkk/01

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शनिवार, 8 फरवरी 2020

नगर निगम की सरपरस्ती में जयपुर के उपभोक्ताओं को मांस के नाम पर बिमारी और गंदगी के साथ मिलता है धोखा!

भाग-1

मीट के लिए केवल चैनपुरा स्थित स्लोटर हाउस में ही जानवर के वध की अनुमति|

जयपुर की करीब 40 प्रतिशत आबादी मांसाहार पर निर्भर करती है,जिसके विक्रय के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा मीट विक्रेताओं को मीट लाईसेंस दिए जाते है,लेकिन इन दुकानों पर केवल उन्हें मांस विक्रय की अनुमति ही दी जाती है क्यूंकि शहर की एकीकृत स्लोट्रिंग के लिए चैनपुरा स्थित स्लोटर हाउस में ही जानवरों को वध करने की अनुमति है|वर्तमान में वहां पर भैंस और बकरे जैसे बड़े जानवरों को परंपरागत तरीके से वध करने की अनुमति है,छोटे जानवरों जैसे मुर्गे और मछली के लिए शहर में स्थित मीट विक्रेताओं को ही छुट दी गयी है|

खातीपुरा स्थित आरिफ मीट हाउस और प्रिंस मीट शॉप पर बकरे के नाम पर बिकता भेड़-बकरी का मीट

बकरे काटने की अनुमति नहीं फिर भी कटते है हजारों बकरें

परन्तु चैनपुरा स्लोटर हाउस शहर से 15-20 किलोमीटर दूर स्थित है,जिसके चलते शहर के मीट व्यवसायी वहां जाने से कतराते है,इसका परिणाम यह है कि यह मीट व्यवसायी अपनी दुकानों में ही इनका वध कर ग्राहकों को ताजा मीट के नाम पर बेचते है|

बिना लाईसेंस के चल रही है सैंकड़ो दुकाने

नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत शहर के मीट व्यवसायियों को मीट विक्रय हेतु नगर निगम से लाईसेंस लेना होता है,परन्तु अज्ञानता और आलस के चलते शहर की सैंकड़ों मीट की दुकाने बिना लाईसेंस के ही चल रही है|

खातीपुरा स्थित मीट की दुकानों के तहखानों से भेड़ों की खाले निकालता मीट व्यवसायी

बकरे के मीट के नाम पर मिलता है बकरी और भेड़ों का मीट

अपने निजी स्वार्थों और लालच के चलते यह मीट व्यवसायी बकरे के नाम पर भेड़,बकरी का मॉस भी बेचने से नहीं हिचकते है|जिससे मांस उपभोक्ताओं के साथ सरेआम धोखा और लूट होती है|नाम नहीं छापने की शर्त पर एक मांस विक्रेता द्वारा बताया गया कि बकरे का मांस शहर में खुले में 450-600 रूपये बिकता है|जबकि भेड़ का मेरे 300-450 रूपये के बीच बिकता है,जिससे मीट व्यवसायी बकरे के नाम पर भेड़ का मीट बेचने में भी नहीं हिचकिचाते है|

चिकन के नाम पर बीमार मुर्गे-मुर्गियों का मांस

यही नहीं जो मीट व्यवसायी चिकन बेचते है वो ना तो अपनी दुकानों पर साफ़ सफाई का ध्यान रखते है बल्कि गंदे और बीमार मुर्गे-मुर्गियों को काटने से भी नहीं चुकते है|जिससे शहर में कभी भी महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है|

घर में रखते है बकरों,भेड़ों और मुर्गे-मुर्गियों का स्टोक

बार बार खरीद फरोक्त से बचने के लिए यह मीट व्यवसायी एक बार में ही अपने घरों और पास के बाड़ो में बकरों,भेड़ों और मुर्गे-मुर्गियों का स्टोक कर लेते है परन्तु देखभाल नहीं होने और लापरवाही के चलते कई जानवर बीमार होकर मर जाते है परन्तु यह मीट व्यवसायी इतने लालची है कि इन बीमार और मृत जानवरों को भी काट कर ग्राहकों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ करते है|

खातीपुरा स्थित नॉन वेज के रेस्टोरेंट जिसमे शायद ही कभी जिम्मेदारों द्वारा निरिक्षण किया गया हो|

नगर निगम खामोश|

ऐसा नहीं है कि नगर निगम के अधिकारी इन बातों से अनजान है,परन्तु राजनैतिक सरपरस्ती, थोड़े से लालच और धार्मिक/जातीय कारणों के चलते वह इनके विरुद्ध कार्यवाही करने से कतराते है|